



F.No. XVI/5/11/O/CBIC/2024

Date: 24.10.2026

**MOST URGENT**

## **PUBLIC NOTICE No. 13/2026**

### **Subject: Submission of applications for Import/Export of Narcotic Drugs and Controlled Substances through the ICEGATE (SWIFT 2.0) Portal – reg.**

Attention of all concerned stakeholders—including importers, exporters, firms, and companies registered with the Central Bureau of Narcotics (CBN)—is invited to Public Notice No. 09/2026 dated 22.09.2026, which outlined the phased migration of the CBN Profile Module and the Narcotic Drugs Import/Export Module to the ICEGATE (SWIFT 2.0) Portal.

2. All stakeholders are hereby informed that **with effect from 26.10.2026 (Monday)**, the CBN Online Portal shall cease accepting applications for:

- (a) Import/Export Certificates and Authorizations concerning **Narcotic Drugs**; and
- (b) Import/Export No Objection Certificates (NOCs) concerning **Controlled Substances**.

All subsequent applications on and from **26.10.2026** must be submitted **exclusively through the ICEGATE (SWIFT 2.0) Portal**.

3. To ensure a seamless transition and avoid any processing delays, all stakeholders are advised to complete the following preparations prior to submitting new applications:

- **ICEGATE Registration:** Complete all necessary registration requirements on the ICEGATE (SWIFT 2.0) Portal.
- **IEC & Operational Details Verification:** Ensure that your Importer Exporter Code (IEC) and all other relevant operational details are valid and accurately updated on the portal where applicable.
- **User Guidance & Support:** Consult the official instructions and utilize the support facilities available on the ICEGATE Portal for guidance on the registration and application submission processes.

4. All concerned stakeholders are requested to take immediate note of this transition and ensure full compliance to avoid any inconvenience in the submission and processing of their applications.

**By order of the Narcotics Commissioner**



F.No. XVI/5/11/O/CBIC/2024

Date: 24.10.2026

अति आवश्यक

### सार्वजनिक सूचना सं. 13/ 2026

**विषय: स्वापक औषधियों (Narcotic Drugs) और नियंत्रित पदार्थों (Controlled Substances) के आयात/निर्यात हेतु आवेदनों को ICEGATE (SWIFT 2.0) पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने के संबंध में।**

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के साथ पंजीकृत सभी संबंधित हितधारकों—जिनमें आयातक, निर्यातक, फर्म और कंपनियां शामिल हैं—का ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या 09/2026 दिनांक 22.09.2026 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सीबीएन प्रोफाइल मॉड्यूल और स्वापक औषधि आयात/निर्यात मॉड्यूल को चरणबद्ध तरीके से ICEGATE (SWIFT 2.0) पोर्टल पर स्थानांतरित (Migrate) किए जाने का उल्लेख किया गया था।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 26.10.2026 (सोमवार) से सीबीएन ऑनलाइन पोर्टल पर निम्नलिखित के लिए आवेदन स्वीकार किया जाना बंद कर दिया जाएगा:

- (क) स्वापक औषधियों (Narcotic Drugs) से संबंधित आयात/निर्यात प्रमाण-पत्र (Certificates) एवं प्राधिकार (Authorizations); तथा
- (ख) नियंत्रित पदार्थों (Controlled Substances) से संबंधित आयात/निर्यात अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOCs)।

तदनुसार, दिनांक 26.10.2026 से इसके पश्चात के सभी आवेदन केवल ICEGATE (SWIFT 2.0) पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य होंगे।

3. इस व्यवस्था में सुगम बदलाव सुनिश्चित करने और आवेदनों के प्रसंस्करण (Processing) में किसी भी प्रकार के विलंब से बचने के लिए, सभी हितधारकों को सलाह दी जाती है कि वे नए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें:

- **ICEGATE पंजीकरण:** ICEGATE (SWIFT 2.0) पोर्टल पर सभी आवश्यक पंजीकरण औपचारिकताएं पूर्ण करें।
- **आयातक-निर्यातक कोड (IEC) एवं विवरण का अद्यतन:** यह सुनिश्चित करें कि आपका आयातक-निर्यातक कोड (IEC) तथा अन्य संबंधित परिचालन विवरण वैध हैं और जहां लागू हो, पोर्टल पर सही ढंग से अद्यतन (Update) किए गए हैं।
- **दिशा-निर्देश एवं सहायता:** पंजीकरण और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन के लिए ICEGATE पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों का अवलोकन करें तथा सहायता सुविधाओं (Support Facilities) का उपयोग करें।

4. सभी संबंधित हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदनों को प्रस्तुत करने और उनके निस्तारण में किसी भी असुविधा से बचने के लिए इस परिवर्तन का तत्काल संज्ञान लें और पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें।

नारकोटिक्स आयुक्त के आदेश से